

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-362/2019

दिलबागसिह पुत्र बलजीतसिह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ।  
वादी

बनाम्


1. बलजीतसिह पुत्र हरबंशसिह
  2. हरप्रीतसिह पुत्र बलजीतसिह
  3. गुरजीतकौर पत्नी बलजीतसिह
  4. मनप्रीत कौर पुत्री बलजीतसिह
- जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं 2 एनजीआर जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं 44/13 में कुल 17.457 है 0 आराजी मे से प्रतिवादीसं 1 बलजीतसिह के नाम से 1097/17457 है 0 हिस्सा के वादी व प्रतिवादीसं 2 को ब 0हि 0ब 0 के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चकनं 2 एनजीआर जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं 44/13 में से प्रतिवादीसं 1 बलजीतसिह का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादीसं 2 के नाम ब 0हि 0ब 0 अंकन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....17/10/19.....को जारी किया गया।



उपर (मीनू वर्मा) एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी